[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 56/2019- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 14 नवंबर,2019

सा.का.नि.......(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2019 है ।
   (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में,-

(i) **प्ररूप जीएसटी आरएफ़डी -01** के, उपाबंध 1 में,

(क) **कथन 1क** के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

"कथन 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत क्रम कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54 (3) के प्रथम परंतुक का खंड (ii)]

क्र. सं.	प्राप्त इनपुट के प्राप्त आवक प्रदायों के दस्तावेजों के ब्यौरे							आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी जावक प्रदायों के दस्तावेजों के ब्यौरे					जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	आवक प्रदाय का	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/स्वयं	दस्तावेज का प्रका	प्रवेश पत्र	पतन कोड	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्य	जावक प्रदाय के प्रकार	दस्तावेज के प्रका	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्य

	प्रकार	का जीएसटीआईएन	र	सं.						क्षेत्र कर		र						क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											ख2ख/ख2ग							”;

(ख) **कथन 2** के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

“कथन 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात (**संचित आईटीसी**)

क्र.सं.	दस्तावेज के ब्यौरे					एकीकृत कर	उपकर	बीआरसी/एफआईआरसी		
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य			सं.	तारीख	मूल्य
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
										”;

(ग) **कथन 3** के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:- :-

“कथन 3 [नियम 89(2)(ख) और नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार: कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

क्र.सं.	दस्तावेज के ब्यौरे				माल/सेवाएं (मा/से)	पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र			ईजीएम ब्यौरे		बीआरसी/एफआईआरसी		
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं.	तारीख	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													”;

(घ) **कथन 4**, के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

“कथन 4 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय का प्रकार: विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईज़ेड) इकाई या एसईज़ेड विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के कारण (कर के संदाय पर)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज के ब्यौरे				पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/ एसईज़ेड द्वारा पृष्ठांकित बीजक		कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”;

(ड.) **कथन 4** के पश्चात निम्नलिखित कथन अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात:-

“कथन 4क

डीटीए से प्राप्त प्रदायों के कारण विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईज़ेड) द्वारा प्रतिदाय-कर के संदाय सहित

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज के ब्यौरे				पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/ एसईज़ेड द्वारा पृष्ठांकित बीजक		कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
	दस्तावेज के प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”;

(च) **कथन 5** के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

“कथन 5 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय का प्रकार : एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को प्रदाय किए जाने के कारण (कर के संदाय के बिना)

क्र.सं.	दस्तावेज के ब्यौरे				माल/सेवाएं(मा/से)	पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/पृष्ठांकित बीजक संख्या	
	दस्तावेज के प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य		सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
							”;

(छ) **कथन 5ख** के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

“कथन 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्रदायकर्ता द्वारा दावाकृत समझे गए निर्यात के कारण

क्र.सं.	प्रदायकर्ता द्वारा दावाकृत प्रतिदाय के मामले में आवक प्रदायों के दस्तावेज ब्यौरे				संदत्त कर			
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर

							कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कथन 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार: प्राप्तिकर्ता द्‌वारा दावाकृत समझे गए निर्यात के कारण

क्र. सं.		प्राप्तिकर्ता द्‌वारा दावा किए गए प्रतिदाय के मामले में आवक प्रदायों के दस्तावेज ब्यौरे				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”;

(ज) **कथन 6** के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्‌:-

“कथन 6 [नियम 89(2)(ञ)]

प्रतिदाय का प्रकार : पीओएस में परिवर्तन के कारण (अंतरराज्यिक से राज्यान्तरिक और विपर्यन)

दस्तावेज का प्रकार ख2ग/रजिस्ट्रीकृत	प्राप्तिकर्ता जीएसटीआईएन/ यूआईएन	नाम (बी2ग के मामले में)	दस्तावेज के ब्यौरे				
			दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व के राज्यान्तरिक/अंतरराज्यिक रूप में विचारणीय संव्यवहार आच्छादित दस्तावेजों के ब्यौरे					
अंतरराज्यिक/ राज्यान्तरिक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पीओएस
9	10	11	12	13	14

संव्यवहार जिसके लिए अंतरराज्यिक/ राज्यान्तरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे					
अंतरराज्यिक/ राज्यान्तरिक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पीओएस
15	16	17	18	19	20
					”।

(ii) **प्ररूप जीएसटीआर-9** की सारणी में,

(क) क्रम संख्या 8ग के सामने, स्तंभ 2 में,-

(अ) “प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी” शब्दों के पहले “वित्तीय वर्ष 2017-18” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) “(अप्रैल 2018 से मार्च 2019)” शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आवक प्रदायों पर आईटीसी (रिजर्व भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं सहित) 2018-19 के दौरान प्राप्त किंतु अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के दौरान उपभोग किए गए”;

(ख) भाग V में,-

(अ.) “चालू वित्तीय वर्ष” के लिए शब्दों के पहले “वित्तीय वर्ष 2017-18” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ.) “संव्यवहारों की विशिष्टियां” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, अप्रैल, 2019 से

सिंतबर, 2019 तक के बीच विवरणियों में घोषित वित्तीय वर्ष 2018-19 के संव्यवहारों की विशिष्टियां”;

(iii) **प्ररूप जीएसटीआर-9** के अनुदेशों में,-

(क) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:- “इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए यह विवरणी फाइल की गई है, सभी **प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख** का भरा जाना आज्ञापक है । इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाए।”;

(ख) पैरा 4 में,-

(अ.) “यह नोट किया जाए” शब्दों के पहले “वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ.) “वित्तीय वर्ष 2017-18” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या वित्तीय वर्ष 2018-19” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) “इस विवरणी के माध्यम से” शब्दों के पश्चात् आने वाले शब्दों “वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दावा न किए गए” का लोप किया जाएगा;

(ई) सारणी के दूसरे स्तंभ में,-

(I) क्रम संख्या 4झ के सामने “9ख का उपभोग किया जा सकेगा” शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ङ में के जमापत्रों के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।”;

(II) क्रम संख्या 4ञ के सामने “9ख का उपभोग किया जा सकेगा” शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ङ में के नामे नोट के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।”;

(III) क्रम संख्या 4ट और 4ठ के सामने “9ग का उपभोग किया जा सकेगा” शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक् रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ङ में के संशोधनों के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।”;

(IV) क्रम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के सामने "(5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा।" शब्दों, अंक, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास केवल "छूट प्राप्त" पंक्ति के इन तीनों सभी शीर्षों के लिए उसके शून्य दर और गैर जीएसटी छूट प्राप्त प्रदायों की पृथक् रूप से या समेकित रूप से सूचना देने का विकल्प होगा।";

(V) क्रम संख्यांक 5ज के सामने, "प्ररुप जीएसटीआर - 1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रुप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, नामे नोट का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा ।"

(VI) क्रम संख्यांक 5झ के सामने, "प्ररुप जीएसटीआर - 1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रुप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, नामे नोट का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा ।";

(VII) क्रम संख्यांक 5ञ और 5ट के सामने, "प्ररुप जीएसटीआर - 1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रुप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, संशोधनों का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा ।";

(ग) पैरा 5 की सारणी के दूसरे स्तंभ में, --

(अ.) क्रम संख्यांक 6ख के सामने "इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में पृथक रुप से की जाने चाहिए" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रुप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें ।";

(आ.) क्रम संख्यांक 6ग और 6घ के सामने "सारणी 4 (क) (3) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रुप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें ।

"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास विकल्प होगा कि वह या तो सारणी 6ग और सारणी 6घ में पृथक रुप से प्रस्तुत करे या सारणी 6ग और सारणी 6घ के समेकित ब्यौरे केवल सारणी 6घ में प्रस्तुत करें ।";

(इ.) क्रम संख्यांक 6ड. के सामने "सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रुप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें ।";

(ई.) क्रम संख्यांक 7क, 7ख, 7ग,7घ, 7ड., 7च,7छ और 7ज के सामने "प्रविष्टि प्ररुप जीएसटीआर -09 की 7ड. में आएगी" से समाप्त होने वाले प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो उलटने की सूचना पृथक रुप से सारणी 7क से 7ड. में भरे या उलटने की संपूर्ण रकम केवल सारणी 7ज में प्रस्तुत करें । तथापि, ट्रान-1 प्रत्यय (सारणी 7च) और ट्रान-2 (सारणी -7छ) के कारण उलटना आज्ञापक रुप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।";

(उ) क्रम संख्यांक 8क के सामने, -

(I) शब्दों और अंकों "वित्तीय वर्ष 2017–18" के स्थान पर "वित्तीय वर्ष जिसके लिए विवरणी होनी है" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) शब्दों "यह ध्यान दिया है कि" से पहले "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए" शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(III) शब्दों "स्वत: दर्शाया जाएगा" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यह ध्यान दिया जाए कि 1 नवंबर, 2019 को उत्पन्न प्ररुप जीएसटीआर -2 को इस सारणी में स्वत: दर्शाया जाएगा ।

"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह सारणी 8क से 8घ की प्रविष्टियों के लिए प्ररुप जीएसटीआर-9ग (सीए प्रमाणीकरण के बिना) में पीडीएफ रुप विधान में सम्यक रुप से हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करें ।";

(ऊ) क्रम संख्यांक 8ख के सामने, "स्वत: दिखाया जाएगा ।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह सारणी 8क से 8घ की प्रविष्टियों के लिए प्ररुप जीएसटीआर-9ग (सीए प्रमाणीकरण के बिना) में पीडीएफ रुप विधान में सम्यक रुप से हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करें ।";

(ऋ) क्रम संख्यांक 8ग के सामने, -

(I) शब्दों "सभी आवक प्रदायों के लिए इनपुट" से पहले "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए" शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(II) शब्दों "यहां घोषणा की जाएगी" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात्:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सभी आवक प्रदायों पर लिए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उनके जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, जिसके अन्तर्गत अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की पूर्ति भी है) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल, 2019 से सितंबर,2019 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी ।

(III) "ये ब्यौरे भरने के लिए" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 8क से सारणी 8घ में प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9सी में पीडीएफ प्रारूप में (सी.ए. के प्रमाणन के बिना) सम्यकत: हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करने का विकल्प होगा ।";

(ए) क्रम सं0 8घ के सामने "नकारात्मक होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 8क से सारणी 8घ में प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9सी में पीडीएफ प्रारूप में (सी.ए. के प्रमाणन के बिना) सम्यकत: हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करने का विकल्प होगा ।";

(घ) पैरा 7 में,--

(अ) "भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं" शब्दों और अंक के स्थान पर "वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) "अप्रैल, 2018 से मार्च 2019" शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, भाग V पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए किए गए संव्यवहारों की विशिष्टियों, किंतु जो अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के बीच **प्ररूप जीएसटीआर 3ख** में संदत्त की गई है, से मिलकर बना है ।";

(इ) सारणी में, दूसरे स्तंभ में,**--**

(I) क्रम सं0 10 और क्रम सं0 11 के सामने,**--**

(1) "वर्धन के ब्यौरे" शब्दों से पूर्व, "वित्त वर्ष 2017-18" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(2) "की यहां घोषणा की जाएगी" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पूर्व वित्त वर्ष की विवरणी में पहले ही घोषित किन्हीं पूर्तियों में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के **प्ररूप जीएसटीआर 1** की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में यहां घोषित किए जाएंगे ।";

(II) क्रम सं0 12 के सामने,**--**

(1) "समग्र मूल्य," शब्दों से पूर्व, "वित्त वर्ष 2017-18 के लिए" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(2) "इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीसी को उलट करने का समग्र मूल्य, जिसका पूर्व वित्त वर्ष में लाभ उठाया गया था किंतु जिसे अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के मास के लिए फाइल की गई विवरणी में उलट दिया गया था, की यहां घोषणा की जाएगी । **प्ररूप**

जीएसटीआर 3ख की सारणी 4ख का इन ब्यौरो को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा । वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह सारणी न भरने का विकल्प होगा ।";

(III) क्रम सं0 13 के सामने,--

(1) "आईटीसी के ब्यौरे" शब्दों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईटीसी के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे;

(2) "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूर्व वित्त वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं की आईटीसी के ब्यौरे किंतु जिनके लिए आईटीसी का अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 मास के लिए फाइल की गई विवरणी में लाभ लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । **प्ररूप जीएसटीआर 3ख** की सारणी 4(क) का इन ब्यौरो को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा । यद्यपि, कोई आईटीसी, जिसे धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में उलट दिया गया था किंतु जिसका वित्त वर्ष 2019-20 में पुन: दावा किया गया था, पुन: दावा किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे । वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा ।";

(ङ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में,--

(अ) क्रम सं. 15क, क्रम सं. 15ख, क्रम सं. 15ग और क्रम सं. 15घ के सामने "इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावो के ब्यौरे नहीं है" शब्दों के पश्चात्, "वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) 15ङ, 15च और 15छ के सामने "मूल्य यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(इ) क्रम संख्यांक 16क के सामने, "इन ब्यौरों को भरने के लिए किए जा सकेगा" शब्दों के पश्चात "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास

यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।"शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ई) क्रम संख्यांक 16ख और क्रम संख्यांक 16ग के सामने, "यहाँ घोषित किया जाएगा" शब्दों के पश्चात "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(उ) क्रम संख्यांक 17 और 18 के सामने, "आवक प्रदायों के कुल मूल्य से अधिक या स्वतंत्र रूप से लेखा का 10% हो " शब्दों, अंकों और चिन्हों के पश्चात "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे

3. उक्त नियमों में, **प्ररूप जीएसटी जीएसटीआर-9ग** के, अनुदेशों में, पैरा 2 में,

(i) "वित्तीय वर्ष 2017-18" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "चालू वित्तीय वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) "जुलाई,2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्यौरे" अक्षरों,शब्दों और अंकों के पूर्व "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) पैरा 4 में, सारणी के दूसरे स्तम्भ में, -

(क) क्रम संख्यांक 5ख और क्रम संख्यांक 5ग के सामने, "यहाँ घोषित किया जाएगा"शब्दों और कोष्ठकों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे । यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";

(ख) क्रम संख्यांक 5घ के सामने, "यहाँ सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";

(ग) क्रम संख्यांक 5ङ और क्रम संख्यांक 5च के सामने, “यहाँ घोषित किया जाएगा/की जाएंगी ”शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।”;

(घ) क्रम संख्यांक 5छ के सामने, “यहाँ घोषित किया जाएगा ”शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।”;

(ङ) क्रम संख्यांक 5ज, क्रम संख्यांक 5झ, क्रम संख्यांक 5 ञ, क्रम संख्यांक 5ट, क्रम संख्यांक 5ठ, क्रम संख्यांक 5ड और क्रम संख्यांक 5ढ के सामने, “यहाँ घोषित किया जाएगा ”शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे । यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।”;

(iv) पैरा 6 में, दूसरे स्तंभ में,-

(अ) क्रम संख्यांक 12ख के सामने, “उपभोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया” शब्दों और अंकों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे ।”;

(आ) क्रम संख्यांक 12ग के सामने “यहां घोषित किया जाएगा” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे ।”;

(इ) क्रम संख्यांक 14 के सामने “यहां घोषित किया जाएगा” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “वित्तीय वर्ष

2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे ।";

(v) भाग ख के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"भाग – ख-प्रमाणीकरण

I. उन मामलों में प्रमाणीकरण जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर -9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

*मैंने/हमने----------

(क)------------------------को तुलन-पत्र की

(ख)-----------------------से आरंभ होने वाले और -------------------को समाप्त होने वाली अवधि के लिए *लाभ और हानि लेखा और/ आय और व्यय लेखा की, और

(ग) यहां संलग्न --------------------से आरंभ होने वाली और -----------------------को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन (यदि उपलबध है), मैसर्स -------------------(नाम) --------------------(पता) ------------(जीएसटीआईएन) की

परीक्षा कर ली है ।

2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति–

*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/<<**>>**माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।

*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/<<**>>**माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।

1.

2.

3.

3. (क) *मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षणों/टिप्पणियों/कमियों/असंगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैं :

....

....

3. (ख) *मैं/हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,--

(अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए ।

(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकृट होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है ।

(इ) मै/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन (यदि उपलब्ध हो) राज्य के भीतर .... पर कारबार के मुख्य स्थान और .... कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं ।

4. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।

5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

....

....

**(संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम ....

सदस्यता सं. ....

तारीख : ....

पूरा पता ....

II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स .... (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा .... अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं. .... धारण करने वाले मैसर्स .... (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और *मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ .... तारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं ।

(क) .... को तुलन-पत्र;

(ख) .... से आरंभ होने वाले और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए *लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा;

(ग) .... से आरंभ होने वाली और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन ; और

(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज ।

2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति–

*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/<<>>माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।

*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/<<>>माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।

1.

2.

3.

3. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।

4. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

....

....

**(संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम ....

सदस्यता सं. ....

तारीख : ....

पूरा पता ...."

[फा.सं. **20/01/02/2019-**जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3,उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 772(अ), तारीख 9 अक्टूबर,2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 49/2019 – केन्द्रीय कर, तारीख 9 अक्टूबर,2019 के माध्यम से किया गया था ।